संख्या-125/2017/2082/22-2-2016-17(396)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीपाल पुत्र हरनाम, निवासी जनपद-बदायूं की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी श्रीपाल पुत्र श्री हरनाम, निवासी काजीखेडा, थाना-मूसाझाग, जनपद-बदायूं का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी पारिवारिक रंजिश में दिनांक 11.10.1977 को प्रात: लगभग 08:30 बजे 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, बल्लम, कट्टे, लाठी से लैस होकर अपने 2 पट्टीदारों (कुल दो व्यक्तियों)की हत्या कर दी गयी एवं श्रीमती लौंगश्री को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149,147,307 में मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बदायूं के आदेश दिनांक 20-02-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर अपील में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.02.1993 द्वारा अपील को खारिज करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 21 वर्ष 00 माह 06 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 00 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 04 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय से दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के कारित अपराध से समाज के व्यापक रूप प्रभावित होने, समयपूर्व रिहा किये जाने पर अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के अभिभावक को बन्दी पर नियंत्रण रखने में उपयुक्त न होने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पुरानी पारिवारिक रंजिश में 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, बल्लम, कट्टे, लाठी से लैस होकर अपने 2 पट्टीदारों की हत्या कर दी गयी एवं श्रीमती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लौंगश्री को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्रीपाल पुत्र श्री हरनाम, निवासी जनपद-बदायूं को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-20680(एम0/बी0)/2016 श्रीपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-09-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्रीपाल (बन्दी संख्या-35714) पुत्र श्री हरनाम, निवासी जनपद-बदायूं के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-125/2017/2082(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बदायूं।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-125/2017/2082@22-2-2016-17(396)/2016

दिनांक 28 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी श्रीपाल (बन्दी संख्या-35714) पुत्र श्री हरनाम, निवासी काजीखेडा, थाना-मूसाझाग, जनपद-बदायूं का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी पारिवारिक रंजिश में दिनांक 11.10.1977 को प्रात: लगभग 08:30 बजे 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, बल्लम, कट्टे, लाठी से लैस होकर अपने 2 पट्टीदारों (कुल दो व्यक्तियों) की हत्या कर दी गयी एवं श्रीमती लौंगश्री को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149,147,307 में मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बदायूं के आदेश दिनांक 20-02-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर अपील में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.02.1993 द्वारा अपील को खारिज करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 21 वर्ष 00 माह 06 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 00 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 04 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय से दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के कारित अपराध से समाज के व्यापक रूप प्रभावित होने, समयपूर्व रिहा किये जाने पर अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के अभिभावक को बन्दी पर नियंत्रण रखने में उपयुक्त न होने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पुरानी पारिवारिक रंजिश में 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, बल्लम, कट्टे, लाठी से लैस होकर अपने 2 पट्टीदारों की हत्या कर दी गयी एवं श्रीमती लौंगश्री को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्रीपाल पुत्र श्री हरनाम, निवासी जनपद-बदायूं को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in